



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56800-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 283 सन् 2026

कैप्टन (आईएन) एके शर्मा (सेवानिवृत्त)

.....अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., सी.एस.सी., दिनेश वरुण, राजेश त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

1. मूल याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह, उनके सहायक श्री अनिल कुमार यादव, केंद्रीय सरकार की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अरिमर्दन सिंह राजपूत की दलीलें सुनी गईं।

2. वर्तमान अंतर-अदालती अपील के माध्यम से मेजर डॉ. संजय श्रीवास्तव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और 4 अन्य, 2026:एचसी:31074 मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.02.2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश द्वारा विद्वान एकल

न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी है और पाया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 30.08.2024

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के नवीनतम दिशानिर्देशों के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (इसके बाद 'जेडएसडब्ल्यूओ' कहा जाएगा) के पद पर बने रहने का हकदार नहीं है।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत दलीलें इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता को मूल रूप से दिनांक 19.03.2021 के आदेश द्वारा 60 वर्ष की आयु तक के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। उस नियुक्ति पत्र की अवधि इस प्रकार है:

"दिनांक 09.03.2021 को आहूत चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुति के कम में चयनोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन अधिवर्षता आयु 60 वर्ष तक की संविदा अवधि तक जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर स्तम्भ-4 में अंकित जनपद में तैनात करने के आदेश प्रदान करते हैं"

4. उपरोक्त नियुक्ति पत्र केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 26.12.2023 को जारी तत्कालीन दिशानिर्देशों के तहत जारी किया गया था। उक्त दिशानिर्देशों के खंड 3(डी) में निम्नलिखित लिखा है:

"3. पात्रता मानदंड

राज्य सैनिक बोर्ड के सैनिक कल्याण-सह-सचिव निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे:

(ए).....

(बी).....

(सी).....

(डी) नियुक्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक जारी रह सकती है, बशर्ते संबंधित अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक हो। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सैनिक कल्याण-सह-सचिव निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।"



5. अनुबंध संख्या II के रूप में वर्णित परिशिष्ट 'बी' का आगे संदर्भ दिया गया है। उक्त अनुबंध प्रपत्र का खंड 10 इस प्रकार है:

"10. इसमें पहले से निहित किसी भी बात के बावजूद, जब तक सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, प्रथम पक्ष सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी सुधार के पूर्ण या आंशिक लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसे सरकार द्वारा इस अनुबंध की तिथि के बाद लोक सेवा की उस शाखा के सदस्यों की सेवा शर्तों में स्वीकृत किया जा सकता है, जिससे वह उस समय संबंधित हो। प्रथम पक्ष की सेवा शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में सरकार का निर्णय इस प्रकार प्रभावी होगा कि इस अनुबंध के प्रावधान उस सीमा तक संशोधित हो जाएंगे।"

6. इन तथ्यों के आधार पर यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति पत्र को अनुबंध प्रपत्र संख्या II के खंड 10 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि खंड 10 उक्त प्रपत्र के किसी अन्य खंड पर अधिभावी है और याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति के बाद स्वीकृत किसी भी सुधार का लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाता है, तो याचिकाकर्ता दिनांक 13.08.2024 के नवीनतम दिशानिर्देशों के खंड 3(डी) के लाभ का हकदार है। संदर्भ के लिए उक्त दिशानिर्देश का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. इस विषय पर पहले के सभी पत्रों को निरस्त करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) और अतिरिक्त निदेशक, सैनिक कल्याण-सह-जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसडब्ल्यूओ) की नियुक्ति और वेतन निर्धारण पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है।

2.....

3. पात्रता मानदंड-

राज्य सैनिक बोर्ड के सैनिक कल्याण-सह-सचिव निदेशक और जिला सैनिक कल्याण-सह-अतिरिक्त निदेशक के चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे:

(ए).....

(बी).....

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(सी) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) के पद के लिए निर्णायक तिथि पर उम्मीदवार की आयु 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और राज्य सैनिक बोर्ड के सैनिक कल्याण-सह-सचिव निदेशक के पद के लिए निर्णायक तिथि पर उम्मीदवार की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(डी) राज्य सैनिक बोर्ड के सैनिक कल्याण-सह-सचिव निदेशक/जेडएसडब्ल्यूओ का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा, बशर्ते संबंधित अधिकारी का प्रदर्शन संतोषजनक हो।

(ई) किसी भी रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के लिए आवेदकों की पात्रता की गणना हेतु निर्णायक तिथि होगी।

7. धारा 3(डी) पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि नवीनतम दिशा-निर्देशों के तहत दिया गया लाभ मूल याचिकाकर्ता पर भी समान रूप से लागू होगा। उनका कार्य संतोषजनक रहा है, इसलिए वे कानूनन जेडएसडब्ल्यूओ, के पद पर अगले पांच वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बने रहने के हकदार हैं। यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त धारा के स्पष्ट और प्रत्यक्ष निहितार्थ की अनदेखी की है और यदि उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया है कि उक्त लाभ अनुबंध प्रपत्र संख्या 2 की धारा 10 के अनुसार याचिकाकर्ता पर लागू होगा, तो उनके आदेश में कानून की स्पष्ट त्रुटि हुई है। उपरोक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए, वे यह कहना चाहेंगे कि दिनांक 13.08.2024 के नवीनतम दिशा-निर्देश की धारा 3(डी) का अपवर्जन केवल नई नियुक्तियों के संबंध में लागू होगा, जहां जेडएसडब्ल्यूओ को पांच वर्षों से अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. दूसरी ओर, संघ के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कानून की कोई त्रुटि नहीं है। दिनांक 13.08.2024 के नवीनतम दिशानिर्देशों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पात्रता आयु पार कर ली हो और उसने 21.03.2026 को अपना कार्यकाल पूरा करने तक पांच वर्ष कार्य किया हो, इस हद तक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हमने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान दिया है और अनुबंध प्रपत्र संख्या II के परिशिष्ट 'बी' का भी संज्ञान लिया है तथा पाया है कि यह याचिकाकर्ता के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, जिसमें संशोधित/नवीनतम दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिए गए लाभ नए दिशानिर्देशों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि दिनांक 13.08.2024 के नवीनतम दिशानिर्देशों के खंड 3(डी) को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

10. उपरोक्त कारण के अतिरिक्त, जिसमें हमें कोई त्रुटि नहीं मिलती, हम यह भी ध्यान देते हैं कि संशोधित/नवीनतम दिशानिर्देश पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों के स्थान पर जारी किए गए हैं। मूल याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए लाभ के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उन्हें समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, खंड 3(सी) को (ई) के साथ पढ़ने पर पात्रता आयु का स्पष्ट निर्धारण होता है। इस प्रकार, रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी को 'महत्वपूर्ण तिथि' पर, जेडएसडब्ल्यूओ, पद के लिए उम्मीदवार की आयु 59 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो मूल याचिकाकर्ता, जो जेडएसडब्ल्यूओ, पद पर कार्यरत हैं, 1 जनवरी, 2026 को स्पष्ट रूप से 59 वर्ष से अधिक आयु के हैं। अतः, प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, याचिकाकर्ता 13.08.2024 के संशोधित/नवीनतम दिशानिर्देशों के तहत जेडएसडब्ल्यूओ, के पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र हैं। याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किए जाने से यह तथ्य सिद्ध होता है कि वह 21.03.2026 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा।

11. हम यह भी ध्यान देते हैं कि दिनांक 30.08.2024 के संशोधित/नवीनतम दिशानिर्देशों के खंड 3(सी) और 3(ई) को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई है।

12. दिनांक 30.08.2024 के संशोधित/नवीनतम दिशानिर्देशों में मौजूदा जेडएसडब्ल्यूओ के कार्यकाल के विस्तार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे याचिकाकर्ता इस संबंध में कोई दावा कर सके। इसके अलावा, दिनांक 13.08.2024 के संशोधित/नवीनतम दिशानिर्देशों के खंड 3(डी) के आधार पर, हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उक्त खंड अधिकतम पांच वर्ष या 65 वर्ष, 'जो भी कम हो' की निश्चित अवधि का प्रावधान करता है। इस हद तक, योजना किसी भी जेडएसडब्ल्यूओ को 5 वर्ष



से अधिक समय तक उस पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देती है। यहां, मूल याचिकाकर्ता 2021 से इस पद पर हैं। वे जल्द ही अपना 5 वर्ष का कार्यकाल या उसके आसपास पूरा कर लेंगे।

12. उपरोक्त के मददेनजर, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। अपील **खारिज** की जाती है।

13. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

19 मार्च, 2026

दीपिका

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)